कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 24.07.2026

🔹 थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा पावरलूम मशीन हेतु बैंक ऋण दिलाने के नाम पर ₹9.50 लाख की धोखाधड़ी व गबन करने वाले गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही।

🔹 षड्यंत्र रचकर बैंक ऋण हड़पने वाले तत्कालीन बैंक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, बिचौलिए मनोज शर्मा व सोनी ट्रेडर्स सहित अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादिनी रुकसाना बीबी पत्नी परवेज अहमद (निवासिनी: दुलहीपुर, ब्लॉक नियामताबाद, तहसील मुगलसराय, जनपद चन्दौली) द्वारा थाना मुगलसराय पर लिखित तहरीर दी गई कि उसने वर्ष 2013 में पुरानी मॉडल की पावरलूम मशीन से व्यापार शुरू किया था। नई मशीन हेतु जिला उद्योग केंद्र चन्दौली के माध्यम से आवेदन करने पर बड़ौदा यूपी बैंक (शाखा दुलहीपुर) में पत्रावली स्वीकृत कराने के नाम पर बैंक अधिकारियों व अन्य अभियुक्तों द्वारा साजिश रची गई। अनपढ़ महिला को धोखे में रखकर विभिन्न प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कराए गए एवं वर्ष 2022 में ₹9,50,000/- (नौ लाख पचास हजार रुपये) का लोन स्वीकृत कराकर उसमें से मात्र ₹2,90,000/- वादिनी को दिए गए तथा शेष धनराशि का गबन कर लिया गया। नई मशीन न देकर वादिनी से प्रतिमाह ₹15,000/- की किस्त वसूल की जा रही थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0362/2026 धारा 420, 406, 120-B भा.दं.सं. में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही विवरण:

उच्चाधिकारियों के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण को लेकर दोनों पक्षों के बीच चाँदनी मार्केट क्षेत्र में विवाद एवं कहासुनी हो रही है। थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया। इस दौरान द्वितीय पक्ष शांत हो गया, किन्तु प्रथम पक्ष के मनोज कुमार शर्मा एवं गोविन्द कुमार द्वारा उग्र व्यवहार करते हुए शांति व्यवस्था

प्रभावित करने का प्रयास किया गया, जिसके दृष्टिगत मनोज कुमार शर्मा एवं गोविन्द कुमार के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

नाम पता अभियुक्तगण-

1.मनोज कुमार शर्मा पुत्र स्व0 शोभनाथ शर्मा नि. ग्राम मलोखर थाना मुगलसराय चन्दौली उम्र करीब 49 वर्ष

2.गोविन्द कुमार पुत्र श्री राम सुधार नि. बहादुरपुर पड़ाव थाना मुगलसराय चन्दौली उम्र करीब 34 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 362/26 धारा 420/406 व 120बी भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम मुगलसराय-

थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

उ0नि0 संजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

का0 बालकृष्ण यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

रि0का0 मोहित कुमार यादव थाना मुगलसराय चन्दौली